न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

यह रिव्यू प्र क्र ४५५७/तीन/१३ रा मं के पूर्व प्र क्र निग/२७३६/दो/१३ में पारित आदेश दि ५-८-१३ के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत है.

१ श्रीमती सुकिया बेवा हीरालाल कुशवाह

२ भगवानदास पुत्र हीरालाल कुशवाह

३ हरप्रसाद कुशवाह पुत्र हीरालाल कुशवाह

४ छक्की कुशवाह पुत्र हीरालाल कुशवाह

निवासीगण ग्राम कतर बारा तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0

आवेदकगण----

बनाम

१ श्रीमती रामबाई पत्नी श्री मंगल काछी

निवासी ग्राम कतरबार तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0

२ मध्य पदेश शासन,

अनावेदकगण-----

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, आवेदक अधिवक्ता

(आदेश दिनांक 5/4/16 को पारित)

[१] यह रिव्यू प्र क्र ४५५७/तीन/१३ रा मं के पूर्व प्र क्र निग/२७३६/दो/१३ में पारित आदेश दि ५-८-१३ के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत है.

[२] रा मं के पूर्व प्र क्र निग/२७३६/दो/१३ में पारित आदेश दि ५-८-१३ से, अपर कलेक्टर छतरपुर के प्र क्र ३०/निगरानी/अ-१२/११-१२ में पारित आदेश दि १७-५-१३ के विरुद्ध प्रस्तुत आवेदक का निगरानी आवेदन ग्राह्यता के स्तर पर अस्वीकार कर दिया गया था. अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी तहसीलदार छतरपुर के प्र क्र १/अ-१२/१०-११ में पारित आदेश दि ७-१०-११ के विरुद्ध हुई थी.

रिव्यू मेमो और तर्क में आवेदक का कहना है कि उसके द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बिन्दुओं को अपर कलेक्टर और रा मं के निगरानी प्रकरण में विचार में लिए बगैर आदेश पारित हो गए हैं, इस वजह से रा मं के पूर्व आदेश का पुनर्विलोकन आवेदन उन्होंने लगाया है.

[३] प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में मैंने रा मं के पूर्व प्रकरण की नस्ती बुलाई और अभिलेख का परिशीलन किया. तर्कों और अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि रिव्यूकर्ता के अलग अलग आवेदनों के दो मुख्य आधार रहे हैं, (एक) अनावेदिका-१ की भूमि के सीमांकन में पैमाना १६ इंच = १ मील ले लिया गया होना, जबकि सम्बन्धित ग्राम कतरवार में पैमाना २० इंच = १ मील है, और (दो) आवेदक के सीमावर्ती कृषक होने के बावजूद उसे सुनवाई का मौका नहीं मिला होना, सूचनापत्र के अगले ही दिन मौका कार्यवाही हो गई होना, पंचनामे में आवेदक की अनुपस्थिति के बावजूद यह लिख दिया गया होना कि उसने उपस्थित रहने के बावजूद हस्ताक्षर नहीं किये, और मौका कार्यवाही के बाद सीमांकन की पुष्टि के समय भी, उसकी भूमि प्रभावित होने के बावजूद, उसे नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना.

इन बिन्दुओं पर विचार करके आवेदक के बिन्दुओं पर कोई निष्कर्ष निकालने के लिए अधीनस्थ विचारण और अपर कलेक्टर न्यायालयों के अभिलेखों को देखने की आवश्यकता होगी. अतः, उन अभिलेखों को बुलाने और आवेदक के बिन्दुओं पर विचार करने के लिए यह रिव्यू आवेदन स्वीकार किया जाता है.

इसी आदेश के साथ यह रिव्यू प्रकरण समाप्त किया जाता है. दा द हो.

मूल प्रकरण में आगे की कार्यवाही की जाए.

आशीष श्रीवास्तव
सदस्य